फर्द अहकाम

[illegible] देवी बनाम [illegible]

न्यायालय

संख्या 153/24

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/2/25 को पेश हो।	
	25/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 24 से 32 उपस्थित। जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 11/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
	11/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 24 से 32 उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] के आधार पर प्रत्यर्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (सुनाया गया) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र : 155/2024

निर्णय दिनांक : 11.03.2025

उनवान

1. श्रीमती मैना देवी पत्नी स्व. श्री छीतर
2. मानगी देवी पुत्री स्व. श्री छीतर
3. लक्ष्मी देवी पुत्री स्व. श्री छीतर
4. लालचंद पुत्र स्व. श्री छीतर
5. ग्योजीराम पुत्र स्व. श्री छीतर

समस्त जाति–कुम्हार, समस्त निवासीगण–ग्राम दहमीकलाँ, तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. काना (फौत) पुत्र स्व. भूरा.
   1/1. नाथू पुत्र स्व. काना
   1/2. राकेश पुत्र स्व. काना
2. गोविंद पुत्र श्री बक्स
3. मानूराम पुत्र श्री बक्स
4. भगवाना (फौत) पुत्र स्व. भूरा
   4/1. गोपाल पुत्र स्व. श्री भगवाना
   4/2. चौथमल पुत्र स्व. श्री भगवाना
   4/3. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री भगवाना
5. भोलूराम पुत्र श्री बक्स
6. हनुमान पुत्र श्री बक्स

समस्त जाति–कुम्हार, समस्त निवासीगण दूध की डेयरी के पीछे, बेथाडियों की ढाणी, ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

7. अनिता देवी पुत्री स्व. श्री राधेश्याम
8. ओम प्रकाश पुत्र स्व. श्री राधेश्याम
9. कैलाश पुत्र स्व. श्री सीताराम.
10. कौशल्या देवी पुत्री स्व. श्री राधेश्याम
11. कौशल्य देवी पत्नी स्व. श्री नन्दलाल.
12. गणेश (नाबालिग) पुत्र स्व. श्री नंदलाल जरिये संरक्षक माता कौशल्या देवी.
13. गायत्री देवी पुत्री स्व. श्री. राधेश्याम
14. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. श्री राधामोहन.
15. ज्ञान प्रकाश पुत्र स्व. श्री राधेश्याम.
16. निर्मला देवी पुत्री स्व. श्री राधेश्याम
17. बजरंग लाल पुत्र स्व. श्री सीताराम.
18. बंशी पुत्र स्व. श्री सीताराम.
19. मामराज पुत्र स्व. श्री नन्दलाल.
20. रामअवतार पुत्र स्व. श्री भूरा.
21. लोकेश पुत्र स्व. श्री राधा मोहन.
22. वेदप्रकाश पुत्र स्व. श्री राधेश्याम समस्त जाति–नाई,
23. रमेश चन्द पुत्र स्व. श्री नारायण, जाति–कुमावत,

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर द्वितीय (सांगा...

समस्त निवासीगण [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] राजस्थान।
[illegible] सर्वश्री गुप्ता कॉमिकल्स प्रा.लि., [illegible] एम. के. [illegible], [illegible] सर्व, एस.आई. रोड, जयपुर।
[illegible] तारामंद पुत्र स्व. श्री मन्नालाल,
[illegible] दिनेश पुत्र स्व. श्री मन्नालाल,
[illegible] नवल पुत्र स्व. श्री मन्नालाल,
[illegible] मनभूली देवी पत्नी स्व. श्री मन्नालाल,
[illegible] [illegible] पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र,
[illegible] राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री मांगू,
[illegible] लालाराम पुत्र स्व. श्री मन्नालाल,
[illegible] ललिता देवी पुत्री स्व. श्री मन्नालाल,
[illegible] सीता देवी पुत्री स्व. मन्नालाल
समस्त जाति–कुम्हार, समस्त निवासीगण [illegible], [illegible], [illegible], तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राज.।
[illegible] राज्य सरकार जरिये नायब तहसीलदार, उप–तहसील–[illegible], तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.06.

2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 [illegible] [illegible]। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि राजस्व ग्राम दहमीकलां, [illegible] हल्का दहमीकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–टीकरिया, तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर में [illegible] खाता संख्या नया 149 पुराना 128 के खसरा नम्बर 1858 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, [illegible] [illegible] 1871 रकबा 0.2500 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.6900 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है [illegible] खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 32 पड़ौसी काश्तकार है [illegible] अप्रार्थी सं. 33 राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार [illegible] कला है। प्रार्थीगण की भूमि [illegible] नम्बर 1858 की पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 1857 व 1856 है, जो अप्रार्थी संख्या 24 मैसर्स [illegible] कॉमिकल्स प्रा.लि. पश्चिमी दिशा में खसरा नम्बर 1859 है,जो परिवार के अन्य लोग अप्रार्थीगण [illegible] 1 लगायत 6, उत्तरी दिशा में अप्रार्थी के खसरा नम्बर 1873 जो अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 [illegible] नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं दक्षिणी दिशा में खसरा नम्बर 1854 स्थित है जो अप्रार्थी संख्या [illegible] लगायत 32 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1871 की पूर्वी दिशा में [illegible] नम्बर 1873 जो अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 में नाम, पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 1867 व [illegible] अप्रार्थी सं. 7 लगायत 23 के नाम, उत्तरी दिशा में खसरा नम्बर 1871/2606 प्रार्थीगण एवं [illegible] सं. 1 लगायत 6 के नाम व दक्षिणी दिशा में खसरा नम्बर 1870, 1869 अप्रार्थी सं. 1 [illegible] 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जा, काश्तशुदा खातेदारी भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण अपने काबिज, काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे [illegible] प्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि का पूर्व में दिनांक 02.05.2024 को पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान [illegible] जा चुका है। प्रार्थीगण के पड़ौसी खातेदारों द्वारा आये दिन मौके पर सीमा बाबत झगड़ा–फसाद [illegible] जा रहा है एवं प्रार्थीगण को जबरन हैरान–परेशान किया जा रहा है, इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि का पुनः सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है जिससे सीमा के विवाद [illegible] अन्तिम रूप से निस्तारण हो सके।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम दहमीकलां, पटवार हल्का दहमीकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible]–टीकरिया,तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 149 पुराना 128 के

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नम्बर 1858 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1871 रकबा 0.2500 हैक्टेयर [illegible] रकबा 0.6900 हैक्टेयर कृषि भूमि का पूर्व में हुए सीमाज्ञान के अनुसार [illegible] से करवाने की कृपा करे, जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो सके।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। [illegible] उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 24 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] अप्रार्थी संख्या 25 ता 32 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 व 23 बावजूद डाक रजिस्टर्ड [illegible] किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 23 कि विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही [illegible] को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 24 की ओर से जवाब पेश नहीं। दिनांक [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 24 का जवाब बन्द किया जाने के आदेश दिये गये।

दिनांक 11.03.2025 को वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 24 की [illegible] धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम सीमाज्ञान [illegible] प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को [illegible] कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम दहमीकलां, पटवार हल्का [illegible] अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–ठीकरिया,तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या [illegible] पुराना 128 के खसरा नम्बर 1858 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1871 रकबा [illegible] कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.6900 हैक्टेयर कृषि भूमि का पूर्व में हुए सीमाज्ञान के अनुसार [illegible] पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद से करवाने की कृपा करे, जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो [illegible]

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 24 की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के [illegible] दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर ज्ञान हुआ की उपतहसीलदार [illegible] रिपोर्ट सीमाज्ञान अनुसार दिनांक 02.05.2024 को सीमाज्ञान करवा दिया गया है [illegible] पुख्ता निशानात गै. मु. चाह 1872 व खसरा नम्बर 1845 गै.मु. चाह पर [illegible] गया जो सही पाया गया। उक्त के पश्चात 1872 चा से जरीब चलाकर खसरा नम्बर [illegible] उत्तरी कोना चैक कर खसरा नम्बर 1845 से कायम किया गया इसी प्रकार [illegible] को जरीब चलाकर कायम किया गया। उक्त के पश्चात चाह 1872 व 1845 से [illegible] खसरा नम्बर 1871 के चारो कोने कायम किये गये। राजस्व जमाबन्दी में [illegible] की खातेदारी में अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षार्थ हेतु सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रार्थीगण का विधिक अधिकार है [illegible] किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नही रखते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111 एवं 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम [illegible] सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी स्वीकार कर तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि [illegible] के राजस्व ग्राम दहमीकलां, पटवार हल्का दहमीकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–ठीकरिया, तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 149 पुराना 128 के खसरा नम्बर 1858 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1871 रकबा 0.2500 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.6900 हैक्टेयर कृषि भूमि का सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 02.05.2024 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। यदि पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया॥

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर